



C. 6.6.5 ✓
8

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।६६ निरानी

रामेश्वर पुत्र महादेव ब्राह्मण, निरानी
ग्राम पानपुर, तहसील मन्दसौर, जिला
मन्दसौर, म०प्र० -- प्राथी

विलङ्घ

१। बंदीराम पुत्र रामाजी कुम्हार

16/11/06 EXP २। पोरसिंह पुत्र खेमराज राजपूत

EXP ३। कमलसिंह पुत्र जयाम राजपूत

EXP ४। मान सिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत

EXP ५। नातूसिंह पिता मानसिंह राजपूत

EXP ६। रामसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत
निवासीगण ग्राम पानपुर, तहसील
व जिला मन्दसौर, म०प्र०

paid ७। कशीरखां पुत्र सदरखां

paid ८। राजू पिता नाथूजी

EXP ९। फक्कह पुत्र मन्नाशाह

१०। रमानी पुत्र फक्कहशाह

EXP ११। फक्कहशाह पुत्र मन्नाशाह

सभी निवासीगण अरनिया निजामुदीन

तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर, म०प्र०

१२। मध्य प्रदेश शासन -- प्रतिप्राथीगिण

निरानी विलङ्घ आदेश आबृक्त महोदय उज्जैन संभाग

दिनांक २६-४-६६ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० पूर राजस्व

संहिता १६५६। प्रकरण क्रमांक २०२। ६८-६६ अग्रील।

R - 1643-II १९
क्रमांक
श्री.....
अभिभावक द्वारा आवाज दिनांक ३०.९.७७
को इस्तुत ३०.९.७७
खलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल ए. ए. ग्वालियर

2233-A
: ३०११८

20/11/06


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1643—एक / 1999

जिला मन्दसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-11-2015	<p>उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण में पेशी दिनांक 16-1-06 की आदेश पत्रिका पर अनावेदक क्रमांक 7 एवं 8 के फौत होने की टीप सहित नोटिस वापस प्राप्त होने से लेख है। आवेदक अभिभाषक को अनावेदक क्रमांक 7 एवं 8 के वारिसों की जानकारी पेश करने के आदेश दिये गये थे। इसके पश्चात कुल 52 पेशीयां एवं 7 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी आवेदक अभिभाषक द्वारा मृत अनावेदकों के वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण अवैट किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p> </p> <p>(डॉ मधु खरे) सदस्य</p>	